न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी रामचरण शर्मा, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 83/अपील/18 तारीख दायरा 04.07.18

कालू आ0 प्रभुलाल जाति मीना निवासी कंवचीखुर्द तहसील अकलेरा

अपीलान्ट.....

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा

रेस्पोडेन्ट....

अपील बनाराजगी भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 आदेश तहसीलदार अकलेरा दिनांक 12.12.17 मि0न0 3191/17

उपस्थितः– श्री श्याम सुन्दर शर्मा II अभिभाषक अपी0

–:: निर्णय ::– दिनांकः 03.08.18

अपीलान्ट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक तहसीलदार अकलेरा के आदेश दिनांक 12.12.17 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट को ग्राम केंवचीखुर्द की आराजी ख0न0 462 की 4 बिस्वा भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 7/–शास्ती एवं 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध एवं पत्रावली सग्रहसार के सर्वथा विरूद्ध होने से निरस्तनीय है– अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुने बगैर उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने, जवाबदेही करने व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना निर्णय जेर अपील पारित किया है। यह की निर्णय में वर्णित आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा नही है अपीलानन्ट कब्जा पूर्व में ही छोड़ चुका है तथा जुर्माना की राशि जमा करादी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया ।

अपील सब जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई ।

योग्य वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मेमो की पुष्टी करते हुये हुये आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने विवादग्रस्त भूमि से कब्जा छोड दिया गया है तथा जुर्माने की राशि जमा करादी है। कब्जा छोड़ने बाबत पटवारी की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है – अपीलान्ट के विरूद्व द्वितीय अतिचार भी प्रमाणित नही है फिर भी उसे सजायाब किया गया है जो उचित नही है साथ ही वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट गरीब आदमी है मेहनत मजूदरी से परिवार का गुजारा करता है, अब भविष्य में कब्जा नही करेगा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई सजा माफ कर दी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर गौर किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखी गई। पत्रावली के अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा किया था। योग्य अभिभाषक ने निवेदन किया है कि अपीलान्ट ने विवादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी है–अतः अपीलान्ट हमारी राय मे कुछ राहत पाने का पात्र हो गया है। हमारी राय मे यह प्रकरण पुनः जांच का मोहताज है–परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील द्वारा पारित सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त करते हुए यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण मे पुनः सुनवाई करे व कब्जे के बाबत आवश्यक तहकीकात कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करने की कार्यवाही अमल मे लावे। निर्णय आज दिनांक 03.08.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामचरण शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड